9– ग्रुप हाउसिंग से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ठ का सेग्रीगेशन स्रोत पर ही किया जायेगा, तदोपरान्त म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम–2016 के अनुसार निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था की जायेगी।

10– निर्माण कार्य के दौरान धूल से प्रदूषण के रोकथाम हेतु वाटर स्प्रिकलिंग की उचित व्यवस्था तथा ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय किये जायेगें। निर्माण कार्य के दौरान प्रस्तावानुसार उचित पर्यावरण प्रबन्ध सुनिश्चित किया जायेगा।

11– ग्रुप हाउसिंग में आवश्यकता के अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिर्चाजिग की व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य होगा ।

12– स्टेट लेवल इन्वायरमेण्ट इम्पेक्ट एसेसमेण्ट एथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

13– एयरपोर्ट अथारिटी आफ इण्डिया से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

14– इकाई द्वारा सौर प्रकाश से भवन के आंतरिक स्थानों को प्रकाशमय रखे जाने के प्रयोजनार्थ स्ट्रक्चरल डिजाइन रखते हुये वार्षिक ऊर्जा सम्परीक्षण आख्या लेखाबद्ध किया जायेगा।

15– एस0टी0पी0 से जनित ठोस अपव्यय का प्रयोग बायो कम्पोस्टिंग के लिये किया जायेगा।

16– इकाई परिसर में सौर ऊर्जा चालित प्रकाश व्यवस्था का वैकल्पिक प्रयोग अधिकाधिक स्थलों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

17– एस0टी0पी0 के संचालन की स्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु पृथक एनर्जी मीटर स्थापित किया जाये।

18– इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये परियोजना हेतु हाटमिक्स प्लाण्ट की स्थापना नहीं की जायेगी ।

19– इकाई द्वारा ई–वेस्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम–2011 का समुचित अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

20– इकाई परिसर के बाहर किसी भी दशा में वाहनों की पार्किंग इत्यादि नहीं किया जायेगा।

21– डी0जी0 सेट से जनित निष्प्रयोज्य लुब्रीकेन्टस ऑयल को बोर्ड से अधिकृत (प्राधिकार प्राप्त) रिसाइकलर को बेचना सुनिश्चित किया जाये।

22– आकस्मिक दुर्घना से बचाव हेतु सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध करना सुनिश्चित करे तथा उक्त के संबंध में सक्षम विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

23– उक्त शर्तो में से शर्त संख्या–1 से 13 का समुचित अनुपालन न पाये जाने की स्थिति में आप द्वारा जमा की गयी बैंक गारण्टी संख्या–IMP:BG:160044:2016 दिनांक 30/12/2016 निर्गत बैंक–विजया बैंक, रीजनल आफिस–लेखराज मार्केट, लखनऊ धनराशि रू0 2,20,000/– (रू0 दो लाख बीस हजार मात्र) में निहित शर्तो का समयबद्ध अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा बैक गारण्टी जब्त की जा सकती है।

24– यह आदेश निर्गमन तिथि से अगले 02 वर्ष हेतु विधि मान्य होगा।

उपरोक्त शर्तो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय,

(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी